

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आसीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

संख्या:- 31/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 88/53 आरटीए

मनीराम पुत्र धनराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली, तह-संगरिया जिला-हनुमानगढ।

नरेशकुमार पुत्र मनीराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली, तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ।

- वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र धनराज जाति-जाट, निवासी-बोलावाली, तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
2. राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति-जाट, निवासी-बोलावाली, तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
3. भूरा राम पुत्र धनराज जाति-जाट, निवासी-बोलावाली, तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
4. रोहिताश पुत्र धनराज जाति-जाट, निवासी-बोलावाली, तह-संगरिया, जिला-हनुमानगढ
5. सहायक अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ जं.।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

परिस्थित

1. श्री नरेश मण्डा - वकील वादीगण
2. श्री राधे शर्मा - वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. सहा.अभि.जल संसाधन विभाग - प्रतिवादी संख्या 5
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया - प्रतिवादी संख्या 6

निर्णय

दिनांक :- 18.03.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53/88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने समस्त हिस्सा को सगे पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये डिक्री दे दिया है। जमाबन्दी में खाता विवादित होने के कारण केवल मात्र नामान्तरण दर्ज रह गया है। वादी के नाम से चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत:-2070-2073 के खाता सं. 56/37 में 4215/11777 हिस्सा व चक 8 एन.टी.डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत-2073-2076 के खाता सं. 54/19 में 1.139 है. का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उसी अनुसार वादी संख्या 1 व 2 अपनी अपनी कृषि भूमि पर काविज होकर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है कब्जा-काश्त वावत किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। जमाबन्दीयां की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता सं. 56/37 में 4215/11777 हिस्सा अर्थात 4.215 है. सहवन से दर्ज है। वादी सं. 1 का 0.302 है. हिस्सा कम कर वादी सं. 2 को 0.013 है. का तथा वादी संख्या 2 को चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता सं. 54/49 में 1.139 है.का 1/3 हिस्सा घोषित करवाकर कृषि भूमि का खाता विभाजित करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। वादी संख्या 1 व 2 ने काश्त की सुविधा के अनुसार जमीन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कर रखा है। परन्तु रिकार्डनुसार कृषि भूमि दर्ज नहीं है। इसलिए वादी संख्या 1 के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता सं. 56/37 में वादी संख्या 1 0.289 है। हिस्सा कम किया जाकर खाता विभाजन करवाने व वादी संख्या 2 का बक 8 डब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में वादी संख्या 2 को 0.380 है वृ कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने अधिकारी एवं दावेदार है। चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 56/37 के प.न. 166/169 के मु.न. 51 के किला नं. 5/2/0.025 है। 2/0.025 है। 15/2/0.025 है। 16/2/0.025 है। गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है एव मौका पर कोई खाला नहीं चल रहा है। तथा भविष्य में भी कोई सिंचाई खाल की जरूरत है। तथा सिंचाई विभाग के रिकार्ड में उक्त खाल को बन्द दिखाया गया है जिस वादी सं. 1 के गैरमुमकिन रकबा को मुमकिन करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 56/37 में वादी संख्या 1 का 0.302 है हिस्सा कम कर वादी संख्या 2 को चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में वादी संख्या 2 को 0.380 है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी संख्या 1 का नाम कलमजन तथ्या वाद पत्र की चरण संख्या 3 (क)(ख) के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावें। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 56/37 के प.न. 166/169 के मु.न. 51 के किला नं. 5/2/0.025 है। 6/2/0.025 है। 15/2/0.025 है। 16/2/0.025 है। गैर.मुमकिन खाला के रकबा को मुमकिन किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। तथा प्रश्नगत खाल के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया/अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ से खाला को निरस्त किए जाने की स्थिति में उक्त आराजीनाज दर्ज किया जाना उचित होगा अन्यथा काश्तकार को खातेदारी भूमि में स्थिति परिवर्तन (वसूली बकाया) बाबत नियमों के परिपेक्ष्य में स्पष्ट अनुशंषा सहित चाही गई। जो निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-

1. तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक ए-2/डी/खा-रा/बा-नह/भू.अ./2024/94 दिनांक 10.01.2024 द्वारा चक 7 एनटीडब्ल्यू के प.न. 166/169 मु.न. 51 के किला नम्बर 5/2.6/2.15/2, 16, 25/2 में गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एव मौका पर खाला बन्द होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई।
2. अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ ने अपने पत्रांक टी-4/2023/1473 दिनांक 03.08.2023 द्वारा चक 7 एनटीडब्ल्यू में प.न. 166/169 के किला नं. 5.6.15.16.25 में खाला अंकन नहीं है एव मौका पर खाला बन्द होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

गहा-... अधिकारी एवं
उपस्थित अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा के तथ्यों को ध्यान देते हुए कथन किया कि वादगत भूमि हमारी जददी जायदाद है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा हो चुका है प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा व तहसीलदार राजस्व संगरिया एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गै.मु. खाला भूमि को दूरस्त करते हुए स्वीकार किये जाने का ध्यान किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमावन्दी सम्वत 2070-2073 चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 56/37 खाता पृथ्वीराज वगैरा व चक 8 एनटीडब्ल्यू ज.स. 2073-2076 खाता संख्या 54/49 खाता पृथ्वीराज वगैरा की जमावन्दी के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह-काशतकार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारों का अर्सा दराज पूर्व से अच्छी जमावन्दी अनुसार घरू बंटवारे के मुताबिक काशत करते चले आ रहे है वर्तमान में भी कब्जाकाशत वाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया एवं अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक चक 7 एनटीडब्ल्यू प.न. 166/169 के किला नं. 56,15,16,25 में खाला दर्ज होने के कारण खाला गै.मु. भूमि को मुमकिन करने तथा खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार ठिकी किया जाता है:-
चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 56/37 में वादी सं. 1 मनीराम पुत्र धनराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	21/0.112 है.
166/169	51	3/0.253 है., 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. 7/0.253 है., 8/0.253 है., 13/0.253 है., 14/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0. 253 है., 18/0.253 है
166/168	48	23/0.253 है., 24/0.253 है., 25/0.253 है.

चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 54/49 में वादी सं. 2 नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/169	1	24/0.013 है., 25/0.126 है.
168/169	2	21/0.228 है., 22/0.013 है.

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 56/37 में प्रतिवादी सं. 2 राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:- **कुमार**

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	23,24/0.238 है. प्र., 25/1/0.213 है., 25/2/0.025 है.
167/169	52	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/0.253 है. 7/0.253 है., 8/0.240 है., 13/0.253 है., 14/0.253 है., 15/0.253 है., 16/0. 228 है., 17/0.253 है., 18/0.253 है., 23/0.190 है., 24/0.089 है.
168/169	53	19/0.025 है., 20/0.126 है.

सहायक जज एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 54/49 में प्रतिवादी सं. 2 राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:- **कुमार**

प.न.	मु.न.	किला नं.
168/169	2	18/0.156 है., 23/0.223 है.

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 56/37 में प्रतिवादी सं. -3 भूराराम पुत्र धनराज 1.902 है., प्रतिवादी सं. 4- रोहताश पुत्र भूराराम 2.024 है. जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	19,20/0.253 है. प्र. 21/0.126 है. किला का उतरी हिस्सा, 22/0.238 है.
167/169	52	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है. 8/0.013 है. किला की उतरी दिशा, किला नं 3 के चिपते 9 ता 12/0.253 है. प्र., 19/0.253 है., 20/0.253 है., 22/0.240 है.
166/168	48	16/0.253 है., 17/0.253 है.

चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 54/49 में प्रतिवादी सं. 4 रोहताश पुत्र भूराराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
168/169	2	18/0.021 है., 19/0.089 है., 22/0.240 है., 23/0.030 है.

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता संख्या 56/37 में वादी सं. 2 नरेश कुमार पुत्र मनीराम 0.018 है. प्रतिवादी संख्या 2 राजेश कुमार पुत्र पृथ्वी राज 0.039 है. प्रतिवादी संख्या 4 रोहिताश कुमार पुत्र भूराराम 0.018 है. जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	21/0.015 है., 22/0.015 है., 23/0.015 है., 24/0.015 है., 25/0.015 है. उक्त कृषि भूमि किलो के दक्षिण दिशा में होगी अर्थात मु.न. 52 के किला नं. 1 ता 5 के उतर होगी।

अतः जल संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया को चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. प.न. 166/169 किला नम्बर 5,6,15,16 में गै.मु.जलमार्ग को संबन्धित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने एवं वादीगण प्रतिवादीगण उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार संगरिया/अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट फौसला/डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फौसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे ।

वसव मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...18.03.2024...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
 राकेश कुमार मीना
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53/88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 31/2023

1. मनीराम पुत्र धनराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली,तह-संगरिया जिला-हनुमानगढ।
2. नरेशकुमार पुत्र मनीराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली,तह-संगरिया,जिला-हनुमानगढ।

- वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र धनराज जाति-जाट,निवासी-बोलावाली,तह-संगरिया,जिला-हनुमानगढ
2. राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति-जाट,निवासी-बोलावाली,तह-संगरिया,जिला-हनुमानगढ
3. भूरा राम पुत्र धनराज जाति-जाट,निवासी-बोलावाली,तह-संगरिया,जिला-हनुमानगढ
4. रोहिताश पुत्र धनराज जाति-जाट,निवासी-बोलावाली,तह-संगरिया,जिला-हनुमानगढ
5. सहायक अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितिय हनुमानगढ जं.।
6. तेहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष पेश है। इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राधे शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:-

चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 56/37 में वादी सं. 1 मनीराम पुत्र धनराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	21/0.112 है.
166/169	51	3/0.253 है.,4/0.253 है.,5/1/0.228 है.,5/2/0.025 है.,6/1/0.228 है 6/2/0.025 है. 7/0.253 है.,8/0.253 है.,13/0.253 है.,14/0.253 है., 15/1/0.228 है.,15/2/0.025 है.,16/1/0.228 है.16/2/0.025 है.,17/0. 253 है.,18/0.253 है
166/168	48	23/0.253 है.,24/0.253 है.,25/0.253 है.

चक 8 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 54/49 में वादी सं. 2 नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/169	1	24/0.013 है., 25/0.126 है.
168/169	2	21/0.228 है., 22/0.013 है.

चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 56/37 में प्रतिवादी सं. 2 राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	23,24/0.238 है.प्र.,25/1/0.213 है.,25/2/0.025 है.
167/169	52	4/1/0.228 है.,4/2/0.025 है.5/1/0.228 है.,5/2/0.025 है.,6/0.253 है. 7/0.253 है.,8/0.240 है.13/0.253 है.,14/0.253 है.,15/0.253 है.,16/0. 228 है.17/0.253 है.,18/0.253 है.,23/0.190 है.,24/0.089 है.
168/169	53	19/0.025 है.,20/0.126 है.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 54/49 में प्रतिवादी सं. 2 राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:- **कुमार**

प.न.	मु.न.	किला नं.
168/169	2	18/0.156 है., 23/0.223 है.

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 56/37 में प्रतिवादी सं. -3 भूराराम पुत्र धनराज 1.902 है. प्रतिवादी सं. 4- रोहताश पुत्र भूराराम 2.024 है. जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	19,20/0.253 है. प्र., 21/0.126 है. किला का उत्तरी हिस्सा, 22/0.238 है.
167/169	52	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है. 8/0.013 है. किला की उत्तरी दिशा, किला नं 3 के चिपते 9 ता 12/0.253 है. प्र., 19/0.253 है. 20/0.253 है., 22/0.240 है.
166/168	48	16/0.253 है., 17/0.253 है.

चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 54/49 में प्रतिवादी सं. 4 रोहताश पुत्र भूराराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
168/169	2	18/0.021 है., 19/0.089 है., 22/0.240 है., 23/0.030 है.

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू खाता संख्या 56/37 में वादी सं. 2 नरेश कुमार पुत्र मनीराम 0.018 है. प्रतिवादी संख्या 2 राजेश कुमार पुत्र पृथ्वी राज 0.039 है. प्रतिवादी संख्या 4 रोहिताश कुमार पुत्र भूराराम 0.018 है. जाति-जाट निवासी-बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
167/168	47	21/0.015 है., 22/0.015 है., 23/0.015 है., 24/0.015 है., 25/0.015 है. उक्त कृषि भूमि किलो के दक्षिण दिशा में होगी अर्थात् मु.न. 52 के किला नं. 1 ता 5 के उतर होगी।

अतः जल संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया को चक 7 एन.टी.डब्ल्यू प.न. 166/169 किला नम्बर 5,6,15,16 में गै.मु.जलमार्ग को संबधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने एवं वादीगण प्रतिवादीगण उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार संगरिया/अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकांश संगरिया
संगरिया